फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

कालुराम बनाम कल्याण वगै0

किस्म मुकदमा–दावा

मु0नं0– 89 / 2013

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/1/26	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष इस आशय का वादपत्र पेश किया गया है कि वादीगण की भूमि जमाबंदी संवत 2064–67 के खाता संख्या 18 के खसरा नम्बर 111 लगायत 117 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम सिकराय डूंगर तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है, उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है लेकिन प्रतिवादी के नाम राहिन दर्ज हैं जबकि भूमि पर वादीगण कब्जेकाश्त हैं। इसलिए राहिन इन्द्राज को हटाया जावे। बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राहिन के संबंध में विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43(2) में उल्लेखित प्रावधानों मे व्यक्तिगत रहन दर्ज भूमियों की समयावधि 5 वर्ष है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43(4) में भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया किसी भूमि का भोगबंधक बंधक विलेख में वर्णित कालावधि या उसके निष्पादन की तारीख से तीस वर्ष समाप्त होने पर जो भी कालावधि न्यून हो बंधककर्ता द्वारा बिना किसी संदाय के पूर्णरूपेण उन्मोचित समझा जायेगा और बंधक ऋण तदनुसार निर्वापित समझा जायेगा और इसके बाद बंधकित भूमि का मोचन किया जायेगा तथा उसका कब्जा सब विल्लंगमों से मुक्त रूप में बंधककर्ता को परिदत्त किया जायेगा। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 43(4क) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के पश्चात किया गया और राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश 1975 के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान किसी भूमि का कोई भोगबंधक, बंधक विलेख में वर्णित कालावधि या उसके निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष के जो भी कालावधि पहले पूरी हो, समाप्त होने पर बंधककर्ता द्वारा बिना किसी संदाय के पूर्णरूपेण उन्मोचित समझा जायेगा और बंधक ऋण तदनुसार निर्वापित समझा जायेगा और इसके बाद बंधकित भूमि का मोचन किया जायेगा तथा उसका कब्जा सब विल्लंगमों से मुक्त रूप में बंधककर्ता को परिदत्त किया जायेगा। अतः दावा वादीगण स्वीकार कर विवादित भूमि के संपूर्ण रकबे से व्यक्तिगत राहिन इन्द्राज को हटाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार उक्त भूमि को राहिनमुक्त दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।पत्रावली फैसल शुमार हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	